

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

For upload
JDA

No: 2008/RS(G)/777/1

New Delhi, dated 06.7.2017

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/N. Delhi, RWP/Bela

Sub: Compliance with the GST Act, 2017 - Special Tender Conditions

Subsequent to the enactment of GST Act, the following Special tender condition may be incorporated in the tender Document:

"In case the successful tenderer is not liable to be registered under CGST/IGST/UTGST/SGST Act, The railway shall deduct the applicable GST from his/their bills under reverse charge mechanism (RCM) and deposit the same to the concerned tax authority."

This has been issued with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)I,
Railway Board

No: 2008/RS(G)/777/1

New Delhi, dated 06.7.2017

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
3. The Directors of Audit, All Indian Railways

Ashok Kumar Das
for Financial Commissioner / Railways

No: 2008/RS(G)/777/1

New Delhi, dated 06.7.2017

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEes, PCEs, All Indian Railways & PUs. RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors—
 - a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
 - b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
 - c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
 - d. Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
 - e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
 - f. Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. MD, CRIS, Chanakya Puri, New Delhi

4. MD, RITES, RITES Bhavan, Sector-29, Gurugram
5. Director, Iron & Steel, 3, KoilaGhat Street, Kolkata
6. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
7. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
8. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No: 2008/RS(G)/777/1

New Delhi, dated 06 .7.2017

Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to: Sr. PPSs / PPS / PS to:

1. MR, MoS(S), MoS(G)
2. CRB, FC, ME, MTR, MRS, MS, MT, SECY., DG(RS), DG(S&T), DG(Personnel), DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2008/आरएस(जी)/777/1

नई दिल्ली, दिनांक 06-07-2017

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (सी), कोर
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं., लखनऊ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी/वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली,
आरडब्ल्यूपी/बेला

विषय: जीएसटी अधिनियम, 2017 का अनुपालन करना ' विशेष निविदा शर्तें।

जीएसटी अधिनियम पारित कर दिए जाने के पश्चात् निविदा दस्तावेज़ में निम्नानुसार
विशेष निविदा शर्तें शामिल की जाएं:

" यदि सफल निविदाकार सीजीएसटी/आईजीएसटी/यूटीजीएसटी/एसटीएसटी अधिनियम के अंतर्गत
पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं हो तो रेलवे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के अंतर्गत
उसके/उनके बिलों से लागू जीएसटी की वसूली करेगा और इस राशि को संबंधित कर प्राधिकरण
के पास जमा करेगा "

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

संतोष मित्तल
(संतोष मित्तल)

उप निदेशक, रेल भण्डार (सा.) ।

रेलवे बोर्ड

सं. 2008/आरएस(जी)/777/1

नई दिल्ली, दिनांक 06-07-2017

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयां
2. एडीआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. निदेशक लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें

अ. सु. दास

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

नई दिल्ली, दिनांक 06-07-2017

सं. 2008/आरएस(जी)/777/1

1. सीओएस/पीसीई/सीएमई/सीईई/सीएसटीई, सभी भारतीय रेलवे एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/रायबरेली/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ और आरडब्ल्यूपी/बेला

2. निदेशक-

- क) भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद
 - ख) भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर
 - ग) भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
 - घ) वरिष्ठ प्रोफेसर (सामग्री प्रबंधन), भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा
 - ङ.) भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पूणे
 - च) भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
3. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
 4. प्रबंध निदेशक, राइट्स, राइट्स भवन, सेक्टर-29, गुडगांव
 5. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता
 6. कार्यपालक, निदेशक (भण्डार), आरडीएसओ, लखनऊ
 7. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ
 8. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, सुकाड़िया सर्कल, उदयपुर

सन्तोष मिश्रा
(संतोष मित्तल)

उप निदेशक, रेल भण्डार (सा.) ।

रेलवे बोर्ड

सं. 2008/आरएस(जी)/777/1

नई दिल्ली, दिनांक 06-07-2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा सं. 248 एवं एनएफआईआर कमरा सं. 256-सी, रेल भवन।
2. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा सं. 268, फ़ोआ, कमरा सं. 256-डी एवं एआईआरपीएफए, कमरा सं. 256-डी, रेल भवन।

सन्तोष मिश्रा
(संतोष मित्तल)

उप निदेशक, रेल भण्डार (सा.) ।

रेलवे बोर्ड